संख्या– 441/13–27–सिं0–4–210(डब्ल्यू)परि0/06

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि0बे0) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, झाँसी
आवक संख्या 1621
दिनांक 19-2-13

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
डायरी सं0 1284
दिनांक 19-2-13
सिंचाई निर्माण मण्डल, झाँसी

लखनऊ, दिनांक: 11 फरवरी, 2013

सिंचाई अनुभाग–4

**विषयः भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0मण्डल–2), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के अशा0पत्र संख्या–463/अनिम–2/यू–4/भौरट बांध, दिनांकः 29 नवम्बर, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांकः 28 जनवरी, 2013 में प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित लागत ₹43355.86 लाख के सापेक्ष ₹40954.89 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया तथा निम्न निर्देश दिए गए :–

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण करा लिया जाए।

(2) पर्यावरण क्लीयरेन्स तथा समस्त वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराए जाएं।

(3) पुनर्वास अनुदान का व्यय तत्सम्बन्धी नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत् अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए तथा इस समिति द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार जब परियोजना के निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी तत्समय शासन स्तर पर उक्त समिति का गठन किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अधीन पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत के अनुसार वित्त पोषण के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( राकेश प्रताप सिंह )
अनु सचिव।

S.E.I.C.C. JHANSI

संख्या– 441(1)/13–27–सिं0–4 तददिनांकः

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (परि0बे0), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

( राकेश प्रताप सिंह )
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि0–बेतवा)
सिंचाई विभाग उ0प्र0, झाँसी

पत्रांक- 1621/5-अ-प-पे/भौरट दिनांक 19.2.2013

प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल झाँसी को इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये बिन्दुवार निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही कराने हेतु अधि0 अभि0 को निर्देशित करने का कष्ट करें,

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (परि0–बेतवा)

अति महत्वपूर्ण/आवश्यक

19/2/13

संख्या:: 157 /07-27-सिं-4-210डब्लू(परि)/06

प्रेषक,

जय प्रकाश नारायण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता,
सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सिंचाई अनुभाग-4 लखनऊ::दिनांक:: 01 फरवरी 2008

विषय:: भौरट बांध परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-2, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-35/अनिम-2/ सू-4/अनु-56, दिनांक 13-08-07 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भौरट बांध परियोजना, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 8540.50 लाख पर आंकलित/अनुमोदित की गयी है। इस परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु व्यय की नई मांग के माध्यम से रू0 2,00,00,000.00 (रू0 दो करोड़ मात्र) की व्यवस्था करायी गयी है। अतः श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में परियोजना हेतु व्यय की नई मांग के माध्यम से करायी गयी बजट व्यवस्था रू0 2,00,00,000.00 (रू0 दो करोड़ मात्र) में से रू0 1,00,00,000.00 (रू0 एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते हैं और इतनी ही धनराशि को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के निवर्तन पर रखने की सहमति भी प्रदान करते हैं।

4- उपर्युक्त धनराशि का व्यय किये जाने में वित्तीय हस्तपुस्तिका में सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त कार्य पर होने वाला व्यय सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा।

5- परियोजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या-96 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखा शीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-57-भौरट-उटारी बांध परियोजना

संख्या– 441/13–27–सिं0–4–210(डब्ल्यू)परि0/06

प्रेषक,

राकेश प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

सिंचाई अनुभाग–4 लखनऊ, दिनांक: 11 फरवरी, 2013

**विषयः भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना के वित्त पोषण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (अनु0 एवं नियो0मण्डल–2), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के अशा0पत्र संख्या–463/अनिम–2/यू–4/भौरट बांध, दिनांक: 29 नवम्बर, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भौरट बांध पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक: 28 जनवरी, 2013 में प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा प्रायोजना को प्रस्तावित लागत ₹43355.86 लाख के सापेक्ष ₹40954.89 लाख की लागत पर अनुमोदित किया गया तथा निम्न निर्देश दिएं गए :–

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य मार्च, 2016 तक पूर्ण करा लिया जाए।
(2) पर्यावरण क्लीयरेन्स तथा समस्त वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराए जाएं।
(3) पुनर्वास अनुदान का व्यय तत्सम्बन्धी नियमों का पूर्ण अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा।
(4) प्रायोजनान्तर्गत की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
(5) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत् अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए तथा इस समिति द्वारा किए गए अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाए। तदनुसार जब परियोजना के निर्माण कार्य आरम्भ किए जाने की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाएगी तत्समय शासन स्तर पर उक्त समिति का गठन किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अधीन पुनरीक्षित परियोजना की अनुमोदित लागत के अनुसार वित्त पोषण के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( राकेश प्रताप सिंह )
अनु सचिव।

संख्या– 441(1)/13–27–सिं0–4 तददिनांक:

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (परि0बे0), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, झाँसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

( राकेश प्रताप सिंह )
अनु सचिव।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि0–बेतवा)
सिंचाई विभाग उ0प्र0, झाँसी

पत्रांक- 1621/मु-अ-प-बे/भौरट दिनांक 19.2.2013
प्रतिलिपि - अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल ... को इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये बिन्दुवार निर्देशों के अनुपालन में कार्यवाही कराने हेतु अधि0 अभि0 को निर्देशित करने का कष्ट करें,

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (परि0–बेतवा)

अति महत्वपूर्ण/आवश्यक

S.E.I.C.C.
JHANSI

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई निर्माण मण्डल, झाँसी
डायरी सं0 1284
दिनांक 19-2-13